भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 968

बुधवार, 4 दिसम्बर, 2024 (13) अग्रहायण, 1946 (शक)) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी नीति

968 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी नीति के तहत संभावित अति-केंद्रीकरण, विशेष रूप से राज्य सहकारी समितियों की स्वायत्तता और उनकी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली से संबंधित चिंताओं को दूर करने की योजना है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं कि उन छोटी, ग्रामीण सहकारी समितियों को पर्याप्त सहयोग मिले जिनके पास अक्सर संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी होती है;

(ग) उस प्रस्तावित प्रमुख संगठन, उसकी संरचना, और उस तरीके का ब्यौरा क्या है जिससे यह स्व-शासन को कमजोर किए बिना सहकारी वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करेगा; और

(घ) स्थानीय सहकारी समितियों पर राज्यों के संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हुए बहुराज्य सहकारी समितियों को विनियमित करने में केंद्र की भूमिका को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) जुलाई 2021 में अपनी स्थापना के बाद से ही सहकारिता मंत्रालय, सहकारी संघवाद की भावना के साथ और संघ सूची में परिभाषित अपने अधिदेशित संवैधानिक क्षेत्राधिकार के भीतर रहकर, राज्य सहकारी समितियों की स्वायत्तता और उनके लोकतांत्रिक कार्यकरण पर कोई अतिक्रमण किए बगैर अपना कार्य कर रहा है । अत:, अति-केन्द्रीकरण का प्रश्न लागू नहीं होता है ।

(ख) भारत में ग्रामीण सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा उपाय किए गए हैं और इन उपायों/पहलों की सूची **अनुलग्नक-I** में संलग्न है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 8 फरवरी, 2024 के पत्र के माध्यम से नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NUCFDC) जो एक अम्ब्रेला संगठन (UO) है, को टाइप-II गैर-जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के रूप में कार्यकलाप करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है । शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के कार्यात्मकता (ऑपरेशनल) और वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाने के लिए इस अंब्रेला संगठन की स्थापना की गई है ।

इस अंब्रेला संगठन का उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों के स्व-शासन को संरक्षित करते हुए उनके कार्यात्मकता में वृद्धि के लिए एक व्यवस्थित अवसंरचना प्रदान करना है । इस प्रयोजन हेतु इसने एक एकीकृत तकनीकी प्लेटफॉर्म के विकास पर कार्य करना शुरू कर दिया है । इस पहल का लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकों को एक कॉमन एकीकृत तकनीकी प्लेटफॉर्म में माइग्रेट करने में सहायता प्रदान करना है जो उन्हें राष्ट्र-स्तरीय अनुसूचित बैंकों के समरूप सेवाएं प्रदान करने, पारदर्शिता में वृद्धि, स्केलेबिलिटी और ग्राहक अनुभूति प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेंगे । यह अंब्रेला संगठन शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करेगा तथा उन्हें विनियामक अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा । यह प्रत्येक सहकारी समिति के शासन अधिकारों का सम्मान करते हुए पूंजी तक सुगम पहुंच द्वारा सहकारी वित्तीयन को व्यवस्थित करेगा, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा और कुशल संसाधन आबंटन को प्रोत्साहित करेगा । यह प्रणाली शहरी सहकारी बैंकों को विनियमित परंतु लचीले वातावरण में फलने-फूलने में मदद करेगी ।

(घ) किसी एक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में ही कार्यरत सहकारी समितियां संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं और एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 39)' नामक केन्द्रीय कानून द्वारा शासित होती हैं जो केवल बहुराज्य सहकारी समितियों के कार्यकरण को विनियमित करती हैं और किसी भी तरह से स्थानीय सहकारी समितियों पर राज्यों के संवैधानिक प्राधिकार का हनन नहीं करती हैं ।

अनुलग्नक-I

1. **पैक्स का कम्प्यूटरीकरण** - कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को लागू कर रही है, जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित नेशनल कॉमन सॉफ्टवेयर पर लाना शामिल है, जो उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ जोड़ेगा। ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में दक्षता लाता है ।

2. **पैक्स के लिए आदर्श उप-विधियाँ उन्हें बहुउद्देश्य, बहुआयामी और पारदर्शी इकाईयां बनाते हैं**:. सरकार ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पैक्स के लिए आदर्श उपविधियाँ तैयार और प्रसारित की हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक कार्यकलापों को करने में सक्षम बनाते हैं, उनके संचालन में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करते हैं । महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं ।

3. **अनाच्छादित पंचायतों में नए बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना** : राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों के सहयोग से अगले पांच वर्षों में सभी पंचायतों/गांवों को आच्छादित करने वाले नए बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

4. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना**: सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), कृषि यांत्रिकीकारण पर उप-मिशन (SMAM), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (PMFME) का औपचारिकरण आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य कृषि अवसंरचना बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की है । इसका उद्देश्य खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन

लागत को कम करना, किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करना और पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है ।

5. **ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के रूप में पैक्स**: सहकारिता मंत्रालय, MeitY, नाबार्ड और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच पैक्स के माध्यम से 300 से अधिक ई-सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/एयर टिकट आदि प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।
6. **पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेटों के लिए प्राथमिकता दी गई**: सरकार ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के आबंटन के लिए संयुक्त श्रेणी 2 (CC2) में पैक्स को शामिल करने की अनुमति दी है ।
7. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट में बदलने की अनुमति दी गई**: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, पैक्स के लाभ को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंस धारक पैक्स को खुदरा आउटलेट्स में बदलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ।
8. **अपने कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र पैक्स**: सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। यह पैक्स को अपने आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का विकल्प देता है ।
9. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक औषधियों तक पहुंच में सुधार के लिए पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों को संचालित करने के लिए पैक्स को बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करना और ग्रामीण नागरिकों के लिए जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है ।
10. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK के रूप में पैक्स:** सरकार देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए PMKSK को संचालित करने के लिए पैक्स को बढ़ावा दे रही है ।
11. **डोरस्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को DCCBs और StCBs का बैंक मित्र बनाया जा सकता है । व्यापार में आसानी, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, नाबार्ड के सहयोग से इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम भी दिए जा रहे हैं । राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SoP) को भी लॉन्च किया गया है ।

12. **पैक्स स्तर पर PM-KUSUM का अभिसरण** : पैक्स से जुड़े हुए किसान सौर कृषि जल पंपों को अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं ।
13. **ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (PWS) के संचालन और रखरखाव (O&M) करने के लिए पैक्स**: ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की गहरी पहुंच का उपयोग करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में PWS के संचालन और रखरखाव (O&M) करने के लिए एजेंसियों के रूप में पात्र बनाया है।